मा0संयुक्त समिति प्रकरण
शीर्ष प्राथमिकता/आज ही/ई–मेल
संख्या–1561 /आठ–5–2023–85विविध/2003

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2023**

विषयः–उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा वांछित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उसके अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी अद्यतन स्थिति अनुसार आरक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–समिति–02/आठ–5–2023–85विविध/2003, दिनांक 17.07.2023, अनुस्मारक पत्र संख्या–1378/आठ–5–2023–85विविध/2003, दिनांक 25.07.2023, पत्र संख्या–1401/आठ–5–2023–85विविध/2003, दिनांक 28.07.2023, पत्र संख्या–1442/आठ–5–2023–85विविध/2003, दिनांक 01.08.2023 तथा पत्र संख्या–1509/आठ–5–2023–85विविध/2003, दिनांक 11.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा वांछित सूचना के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उसके अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी अद्यतन स्थिति अनुसार आरक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो अद्यतन अप्राप्त है। प्रकरण मा0 समिति से सम्बन्धित होने के बावजूद सूचना उपलब्ध न कराया जाना अत्यन्त खेदजनक है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्रों के क्रम में वांछिए सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए इस हेतु दोषी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर वांछित सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आज ही हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (एम0एस0वर्ल्ड/एम0एस0एक्सल) में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 की ई–मेल आई.डी.–awasanubhag5@gmail.com पर उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 29.08.2023 को मध्याह्न 12.00 बजे अपर मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय कक्ष में निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाओं सहित (एम0एस0वर्ल्ड/एम0एस0एक्सल में) प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

22.8.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

Santosh Sir-Go-2023